

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)

क्रमांक एफ १(२)ग्रावि/नरेगा/माद/पार्ट-१/2010



जयपुर, दिनांक : 30 MAY 2012

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त राजस्थान।

विषय :—महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत जल स्त्रोतों के रख रखाव तथा इनके जल ग्रहण क्षेत्र में आ रही रुकावटों को दूर करने के कार्य बाबत।

संदर्भ :—विभागीय समसंख्यक पत्रांक दिनांक 24.04.2012

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2012-13 के बजट भाषण में की गयी घोषणा की कियान्वित हेतु संदर्भित पत्र द्वारा दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।

महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 में भी जल संरक्षण एवं जल संग्रहण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गयी घोषणा से जल स्त्रोतों में जल संरक्षण एवं जल संग्रहण में वृद्धि होना अवश्यम्भावी है। केन्द्र सरकार द्वारा जारी ऑपरेशनल गाईड लाईन 2008 एवं केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 03.09.2008 के प्रावधानों से यह अपेक्षा की जाती है कि वार्षिक कार्य योजना एवं श्रम बजट के अनुमोदन के उपरान्त अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित कार्यों की स्वीकृतियां वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने से पूर्व में ही जारी कर दी जावें।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा बजट घोषणा 2012-13 के अनुरूप जल स्त्रोतों के रख रखाव के कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराए जाने की कार्यवाही सम्पादित कराये जाने हेतु संदर्भित पत्र द्वारा निर्देश जारी किये जा चुके हैं। कृपया इस संबन्ध में वार्षिक कार्य योजना 2012-13 में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अनुरूप सम्मिलित समस्त कार्यों की स्वीकृति यदि अभी तक जारी नहीं की गयी है, तो 31 मई तक आवश्यक रूप से जारी किये जाने की कार्यवाही सम्पादित करायी जावें एवं इन कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण कराने की कार्यवाही भी सम्पादित की जावें ताकि आगामी बरसात के मौसम से पूर्व उक्त प्रकार के कार्य सम्पादित कराये जाने से पानी की आवक बढ़ायी जा सकें एवं इसका पूर्ण लाभ प्राप्त हो सकें।

भवदीय

आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि:

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा, राजस्थान एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान जयपुर/जोधपुर।
3. रक्षित पत्रावली।

परि.निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस